तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लादुसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ.अपील सं0 243 / 2023 (   )

05.02.24

अपीलार्थी लादुसिंह राजपुरोहित पुत्र गोरधनसिंह राजपुरोहित निवासी पुरोहितों का बास, बरसीनगर, खसरा नम्बर 204 / 122, 204 / 248 मुकाम पोस्ट बड़ला बासनी तहसील तिवंरी –जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08...2023. में उसके द्वारा (1) मथानिया से तिंवरी होते हुए देचू हाईवे की भूमि 22 से 100 फूट तक कार्यकर रहे है खसरा नम्बर 204 / 122, 204 / 238 की आवप्ति के लिए निकाले गये नोटिस व विज्ञापन सहित जो भी पत्राचार निम्न व उच्च अधिकारयिों के साथ किया गया समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1173 दिनांक 31.10..23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी औसियां से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड कार्यालय औसियां को कार्यालय पत्रांक 964 दिनांक 07.08.2023 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) कार्यालय स्तर पर कार्यवाही कोई अपेक्षित नहीं है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) द्वारा सूचना नहीं दी गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को निर्देशित किया [illegible] कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये [illegible] के कारण से अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:13:31 IST
Reason: SelfAttested